संख्या 170 /V-आ0-2011-292 (आ0)/05

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
नियत्रंक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, रूद्रपुर,
ऊधमसिंहनगर।

आवास अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 21 मई 2012.

विषयः रूद्रपुर महायोजना-2031 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून के पत्र संख्या-652/नग्रानि/वि0क्षेत्र-रूद्रपुर महा0/2012 दिनांक 2 अप्रैल, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, रूद्रपुर की बैठक दिनांक 24-03-2012 के निर्णय के क्रम में अन्तिम रूप देकर प्रेषित **रूद्रपुर महायोजना-2031 को** उत्तराखण्ड (उ0प्र0 निर्माण कार्य विनियमन निर्देश, 1960) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2006 की धारा-10 (ए)(7) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्‌द्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- रूद्रपुर महायोजना पर शासन की स्वीकृति की सूचना दो प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाये तथा सूचना में वह स्थान भी बताया जाय, जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता हो। इस सम्बन्धी समाचार पत्रों की एक-एक प्रति वरिष्ठ नियोजक एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें।

3- उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से रूद्रपुर महायोजना-2031 प्रभावी मानी जायेगी।

संलग्न-महायोजना की स्वीकृत प्रति।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\September-letters-2011.doc

<u>संख्याः एव दिनांक उपरोक्तः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को स्वीकृत रूद्रपुर महायोजना–2031 की एक–एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल।

2– वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

3– सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,विमल कुँज, रूपनगर, हल्द्वानी (नैनीताल)।

4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

S. Raj

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।